न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 238/2016/223 आर टी ए

मेसर पुत्री सुरजाराम पत्नि भालसिंह जाति जाट निवासी बकरियांवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

––अपीलांट

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गिरधारी पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बुधराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मु0 सीता देवी पत्नि सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. श्रवण नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता संरक्षक गिरधारी जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. मेहरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता संरक्षक गिरधारी जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

––– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा प्र0सं0 5/15 अनवानी दलीप सिंह बनाम गिरधारी आदि

उपस्थित :–

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–15.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 89 व 92ए के तहत पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुने एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये दावा डिक्री कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा पेश होने पर अपीलांट को नोटिस नही दिया गया क्योंकि अपीलांट ससुराल मे रहती है तथा सभी नोटिसो मे गिरधारी के हस्ताक्षर करवाये जाकर तामील करवाई गई। इसलिए बिना

किसी सूचना के अपीलांट के हक व हिस्सा को बिना किसी बंटवारा व दस्तावेजी के वादी के मौखिक कथन को आधार मानकर दावा डिक्री किया गया है। जो अपास्त योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के दादालाई भूमि है जिसमे अपीलांट कानूनन सुरजाराम के नाम समस्त भूमि मे 1/4 हिस्सा की जन्मजात खातेदार काश्तकार है जिसकी घोषणा करवाकर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1, 3 व 4 के नाम बहिब दर्ज किया जावें। उक्त भूमि मे सूरजाराम की मृत्यु के बाद उनके सभी वारिसों का बहिब हक हिस्सा है जब तक कोई वारिस अपनी इच्छा से हक त्याग नही कर देता, चूंकि गिरधारी अपना हक हिस्सा पहले ही प्राप्त कर चुका है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार के तथा बिना दस्तावेजो की जांच किये विधि विरूद्ध दावा डिक्री करने मे अहम भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया चूंकि दावा मे अपीलांट की तामील ही नही हुई थी इसलिए अपीलांट को उक्त निर्णय बाबत ज्ञान नही था दिनांक 10.12.2015 को पटवारी हल्का से अपने नाम विरासतन भूमि दर्ज करवाने गई तो उक्त निर्णय का पता चला तब बिना किसी देरी के यह अपील पेश की गई है। इसलिए अपील ज्ञान से अन्दर मियाद माने जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर मुताबिक हक हिस्सा अपीलांट के नाम सुरजाराम के नाम दर्ज 255 हिस्सा भूमि मे 1/4 हिस्सा तथा रेस्पो0 सं. 1, 3 व 4 के नाम भी 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित अधिनियम सन् 2005) दिनांक 09.09.2005 को प्रभावशील हुआ है। उक्त संशोधित अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नही रखता। कानूनन उक्त संशोधित अधिनियम लागू होने से पूर्व विभाजन/पारिवारिक समझौता को अपीलांट चुनौती नही दे सकती है। वादगप प्रस्तुत होने से पूर्व वादग्रस्त भूमि जो

सुरजाराम के नाम दर्ज थी जिसमे उनके वारिसों पुत्र बुधराम, दलीप, गिरधारी व स्वयं सुरजाराम के हको निर्धारण करते हुए सुरजाराम द्वारा जरिये ईकरारनामा दिनांक 08.11.2004 को गिरधारी के 1/4 हिस्सा की भूमि का उसके पुत्र श्रवण व मोहरसिंह को दे दी गई थी तथा शेष भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 को 1/3 व रेस्पो0 सं. 3 को 1/3 हिस्सा दिया गया। उक्त ईकरारनामा के आधार पर गिरधारी के पुत्र श्रवण व मोहरसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो गया। अपीलांट दिनांक 08.11.2004 को हुये ईकरारनामा/पारिवारिक समझौता के विरूद्ध जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित अधिनियम सन् 2005) लागू होने से पूर्व का है उक्त संशोधित अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नही रखता। रेस्पो0 द्वारा प्रश्नगत ईकरारनामा दिनांक 08.11.2004 होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुरजाराम के नाम शेष रही भूमि के संबंध मे वाद प्रस्तुत अपने नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये दावा डिक्री किया गया है। जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016 पेज 151 डीबी, आरआरटी 2016 पेज 29 एससी न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि कुल 340 हिस्सा थी जो अपीलांट के पिता सुरजाराम के नाम से दर्ज थी। सुरजाराम द्वारा पारिवारित समझौता दिनांक 08.11.2004 के जरिये कुल भूमि सुरजाराम स्वयं और तीनो पुत्रों प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मानते हुए अपने एक पुत्र गिरधारी के 1/4 हिस्सा भूमि को उसके पुत्रो श्रवण व मेहरसिह पि. गिरधारी को दी गई और सुरजाराम स्वयं और दो पुत्रो प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा शेष रहा जो

उक्त पारिवारिक समझौता मे अंकित किया गया। अपीलांट हिन्दू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के आधार पर अपील प्रस्तुत करते हुए अपने अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। चूंकि पैतृक सम्पति का पारिवारिक समझौता दिनांक 08.11.2004 को बंटवारा हो गया है जो हिन्दू संशोधन अधिनियम 2005 मे अंकित दिनांक 21.12.2004 से पूर्व हो चुका था। संशोधन 05.09.2005 से लागू हुआ है जिसमे पुत्रियों को पुत्रो के समान अधिकार दिये गये अगर दिनांक 21.12.2004 से पूर्व कोई विभाजन पारिवारिक समझौता आदि ना हुआ हो। उक्त संशोधित अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नही रखता है। अपीलांट को ईकरारनामा होने पश्चात मुताबिक हक हिस्सा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे पिता सुरजाराम के 1/3 हिस्सा मे से 1/4 हिस्सा यानि 21 हिस्सा भूमि दी गई है। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होते है। ऐसी स्थिति मे अपील मे वर्णित तथ्य सिद्ध नही होने के कारण तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से अपील को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 238/2016/223 आर टी ए

मेसर पुत्री सुरजाराम पत्नि भालसिंह जाति जाट निवासी बकरियांवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

––अपीलांट

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गिरधारी पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बुधराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मु0 सीता देवी पत्नि सुरजाराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. श्रवण नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता संरक्षक गिरधारी जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. मेहरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता संरक्षक गिरधारी जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

––– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा
प्र0सं0 5/15 अनवानी दलीप सिंह बनाम गिरधारी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलांट एवं श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 15.01.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ